

## कार्यकारिणी सारांश

१. झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) झारखंड के कुछ चुनिंदा शहरों के नगर निगम के आधारभूत ढाँचों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना भारत के विकास के लिए बनाई गई बारहवीं पाँच वर्षीय (2012–17) योजना के अनुरूप तैयार की गई है, जिस में तीव्र गति से, स्थाई और सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार की शहरी क्षेत्र के लिए (बारहवीं पाँच वर्षीय योजना के अनुसार) प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं—
  - शहरी आधारभूत ढाँचों में निवेश में वृद्धि
  - शहरी प्रशासन, संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, स्थाई एवं विस्तृत शहरी विकास के लिए दीर्घकालिक शहरी नियोजन में सुधार
  - पर्यावरण स्थायीत्व में सुधार
  - यूएलबी की वित्तीय निरंतरता में सुधार

प्रस्तावित योजना के तीन भाग हैं:

- भाग 1: शहरी आधारभूत ढाँचों में सुधार
  - भाग 2: नीतिगत और संस्थागत
  - भाग 3: योजना प्रबंधन एवं तकनीकी सहयोग
२. मौजूदा ईएसएमएफ दस्तावेज़, जेएमडीपी की विभिन्न उपपरियोजनाओं के नियोजन, प्रारूप, निर्माण और संचालन के दौरान उचित मूल्यांकन के ज़रिए सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रभावों के प्रबंधन के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। यह रूपरेखा सभी श्रेणियों की उप-योजनाओं में सुरक्षा और यथोचित परिश्रम के स्तर की पहचान करते हुए पर्यावरण और सामाजिक मुल्यांकन करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों और प्रणालियों के साथ ही कार्यान्वयन ऐंजिनियरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन देता है।
  ३. ईएसएमएफ बनाने का लक्ष्य है:
    - पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं को फैसले लेने की प्रक्रिया में नियोजन, डिज़ाइन बनाने, मूर्त रूप देने, संचालन और रख-रखाव से जुड़े सभी स्तरों पर शामिल करने का समर्थन करना, ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को योजना चक्र के शुरुआती दौर में ही टाला या कम किया जा सके;
    - उप-योजना के मूर्त रूप देने के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों के रोज़गार और जीवन स्तर को पुनर्वासित करना या इनमें सुधार करना और इस वजह से हुए उनके रोज़गार या संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने में सहयोग देना;
    - उप-योजनाओं के बेहतर/संवर्द्धनशील नियोजन, डिज़ाइन और संचालन के ज़रिए सकारात्मक/चिरस्थाई पर्यावरण और सामाजिक परिणामों में वृद्धि करना;
    - उप-योजनाओं या इन से पैदा होने वाले अप्रत्यक्ष, प्रेरक और संचयी प्रभावों के परिणामों के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरण के क्षरण को कम करना;
    - मानवीय स्वास्थ्य की सुरक्षा;
    - सांस्कृतिक धरोहर पर न्यूनतम प्रभाव
  ४. जेएमडीपी के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न शहरों और/या कस्बों में लागू किए जाने वाली योजनाएं निम्नलिखित हैं:
    - जल आपूर्ति योजना
    - स्टार्म वॉटर इंजेनियरिंग
    - मुख्य-सड़क, उप-मुख्य-सड़क और संयोजक सड़कों की मजबूती, विकास और सौंदर्यीकरण
    - सीवरेज योजना
    - बिल्डिंग

## नियामक ढाँचा

५. अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक पर्यावरण एवं सामाजिक कानून जेमडीपी योजनाओं पर लागू होंगे जिनमें पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, सॉलिड वेस्ट (हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट) रूल्ज 2016, उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं स्थानांतरणमन अधिनियम 2013 और झारखंड उचित मुआवजा अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास नियम 2015 और फेरी वाला/स्ट्रीट वैडर (प्रोटेक्शन ऑफ लाइबलीहूड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वैडिंग) एक्ट, 2014। इसके साथ ही विश्व बैंक द्वारा स्थापित संचालन नियमावली भी इस योजना पर लागू होगी। उप-योजनाओं पर लागू होने वाली संचालन नीतियां हैं— ओपी 4.01—एन्वायरमेंट असेसमेंट, ओपी 4.04— नेचुरल हैबिटेट्स, ओपी 4.36— फोरेस्ट्री, ओपी 4.12— इनवोलेंटरी रीसेटलमेंट, ओपी 4.10— इंडीजीनियस पीपल, ओपी 4.11— फ़िजीकल कल्वरल रिसेसेज, ओपी 4.37—सेपटी ऑफ डैम्ज एंड वर्ल्ड बैंक पॉलिसी ऑन एक्सेस टू इनफारमेशन एंड डिस्क्लोजर। ईएसएमएफ ने डब्ल्यूबीजी ईएचएस दिशानिर्देशों, और डब्ल्यूबीजी उद्योग क्षेत्र के दिशानिर्देशों की सिफारिश की है, जो कि उप-परियोजनाओं जैसे उद्योग क्षेत्र की दिशा-निर्देशों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं और जल और स्वच्छता के लिए लागू होते हैं।

## प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याएं

योजना के कार्यान्वयन के दौरान संभावित सामाजिक समस्याओं में आधारभूत ढाँचा बनाते और प्रयोग करते समय भूमि अधिग्रहण, निर्माणों की क्षति, रोज़गार की क्षति, सांझा संपत्ति संसाधनों की क्षति जैसे सामाजिक विषय शामिल हैं। भूमि, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की क्षति से स्थानीय आबादी विशेषकर अनुसूचित जनजातीय आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा निर्माण के दौरान रिहायशों, सीपीआरज और शहरी आधारभूत ढाँचों की सुविधाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागरिक सुविधाओं के प्रयोग और सांस्कृतिक भेदों की वजह से बाहर से आने वाले मजदूरों और स्थानीय नागरिकों में टकराव हो उत्पन्न हो सकता है। उपरोक्त के अलावा, झारखंड के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इस परियोजना के तहत लगभग 90 श्रमिक स्थानीय आबादी से मिलकर केवल 10: श्रम ए तकनीशियन बाहर से आते हैं इसलिए, आप्रवासी श्रम बल और स्थानीय समुदाय के बीच संघर्ष की संभावना दुर्लभ है। इस संबंध में, प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन के लिए ठेकेदार को निर्देश जारी किए जाएंगे। उपर्युक्त के अलावा, बाल श्रम और महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। प्रत्येक उप-परियोजना जिले में बाल श्रम से संबंधित मुद्दों की देखरेख करने के लिए एक समिति स्थापित की जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-परियोजनाओं में से किसी एक में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया गया है।

६. योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों से भूमि का विषयांतर, निर्माण कार्य की वजह से योजना के क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव, पर्यावरणीय शोर के स्तर में वृद्धि, वर्षा जल के बहाव से पड़ने वाला प्रभाव, निर्माण गतिविधियों की वजह से, सड़क यातायात में वृद्धि, श्रमिक के लिए शेडों के निर्माण और भारी मशीनरी की आवाजाही से मिट्टी पर प्रभाव और खुदाई, मिट्टी, सतही और भूमिगत जल में तैलीय ईंधन, सीमेंट वेस्ट के प्रदूषित तत्त्वों की मिलावट और रसायनों के अनुचित प्रबंधन की वजह से कर्मचारियों को पेश आने वाले संभावित औएचएस खतरे शामिल हैं।
७. जबकि उप-परियोजना ईएसआईए को अस्थायी परियोजना प्रेरित श्रम प्रवाह से जुड़े ऐसे संभावित मुद्दों का आकलन करने की आवश्यकता होगी, ठेकेदार नियुक्त किया जाता है और श्रम को आउटसोर्स करने का निर्णय लेने के बाद विशिष्ट प्रभावों का केवल मूल्यांकन किया जा सकता है। ठेकेदार ऐच्च में श्रम प्रबंधन योजना शामिल होगी संबंधित धाराएं बोली दस्तावेजों में शामिल की जाएंगी और प्रावधान उप-परियोजना विशिष्ट ऐच्च में किए जाएंगे।
८. संवेदनशील क्षेत्रों पर पर्यावरणीय प्रभावों को यथासंभव कम किया जाएगा, लेकिन इनकार नहीं किया जाएगा, इसमें संवेदनशील पर्यावरण के क्षेत्र से जमीन का मोड़ और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण शहरी पर्यावरण गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। परियोजना सामान्य निर्माण चरण के प्रभावों का कारण बन सकती है जिसमें शामिल हैं (प) शोर, धूल और हवा की गुणवत्ता पर प्रभावों में वृद्धि (पप) संभावित जल निकासी और सीधेज प्रदूषण से उत्पन्न अस्थायी जल गुणवत्ता प्रभावय और (पपप) उत्थनन, निर्माण वाहनों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक और पैदल यात्री आंदोलनों में भीड़ और अनुरक्षण बढ़े। (पअ) निर्माण ए खुदाई कार्य के दौरान सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, पहुंच और अस्थायी परिवर्तनों में बाधा पहुंचाई (अ) अनुचित

अपशिष्ट एवं मलबे के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधनय और (अप) खतरनाक कचरे का उत्पादन जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकता है अगर निर्माण बर्बाद और मलबे का अनुचित तरीके से निपटारा किया जाता है

९. यदि उप-परियोजना निवेश उचित रूप से डिजाइन, निष्पादित या संचालित नहीं हैं, या वे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को ले सकते हैं। ये प्रभाव विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं (प) भौतिक निवेशों की अनुचित साइट चयनय (पप) प्रस्तावित डल्ल्यूटीपी एवं एसटीपी सुविधाओं में कीचड़ एवं कचरा निपटान और प्रबंधन सुविधाओं की अनुपस्थितिय (पपप) सड़कों और नालियों जैसे संपत्ति का अपर्याप्त रखरखाव, जिससे शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आईय (अ) सांस्कृतिक गुणों और स्थानीय जल निकायों के प्रभाव, (अप) विद्यमान नालियों से गाद सामग्री का अनुचित निपटान। जेएमडीपी कार्यक्रम के लिए तैयार ईएसएमएफ इन मुद्दों को स्वीकार करता है और परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया में उन्हें संबोधित करने के उपायों को एकीकृत करता है।
१०. परियोजना को श्रम स्वास्थ्य और सुरक्षा और शिविर स्थलों की गुणवत्ता का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी प्रभाव से बचने के लिए (प) संचरित रोगों के फैलने का जोखिम बढ़े (पप) अवैध अपशिष्ट निपटान स्थलों, शिविरों में खराब स्वच्छता मानकों, अपशिष्ट जल निर्वहन (पपप) शिविर संबंधित निर्माण शोर और (पअ) अवैध पहुंच सड़कों और भूमि उपयोग के मुद्दों और (अ) स्थानीय सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे पानी और बिजली, आवास और सामाजिक गतिशीलता जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के कारण अन्य प्रभाव इस प्रकार स्थानीय समुदायों पर प्रभाव पड़ता है

### **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन ढांचा**

प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन ढांचे के अनुसार सबसे पहले जांच की कार्यवाही की जाएगी, जहां पर संभावित उप-योजना के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान पर्यावरण एवं सामाजिक जांच सूची (ई एंड एस स्क्रीनिंग चेकलिस्ट) भर कर दी जाएगी। इस जांच सूची को भरने का उद्देश्य पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में मूलभूत जानकारियां जुटाना और उप-योजनाओं के उनके अनुसार श्रेणीबद्ध करना होगा। ईएसएमएफ ने स्क्रीनिंग, ईएसआईए तैयारी, ईएसएपी कार्यान्वयन, और साइट डीकमिशनिंग में पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों की पहचान करने और पता करने के लिए ढांचा तैयार किया है। **ESIA** और **ESMP** के लिए सामग्री और पूर्णता पर विशिष्ट विस्तृत मार्गदर्शन Annexure (III),(IV),(V) और (VI) में प्रदान किया गया है।

११. इसके अलावा, स्लाहकार फर्मों के लिए चतुर्मुखीय (प) श्रमिक शिविर साइट और प्रबंधन योजना (पप) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन योजना और (पपप) पूर्व प्राथमिकता के लिए सभी उप-परियोजनाओं के लिए अनुबंध XII-XIV और XVII में विशिष्ट विशिष्ट विस्तृत मार्गदर्शन किए गए हैं। पुरातात्त्विक मौका मिलना प्रक्रियाय जो ई 1, ई 2 श्रेणी में गिरने वाले सभी उप-परियोजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है।
१२. दस्तावेज में ज्यूडको और नागरिक कार्यों ठेकेदारों के लिए अपशिष्ट और मलबा प्रबंधन के लिए साइट-विशिष्ट योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है, और आवश्यकतानुसार क्षेत्र प्रबंधन को उधार लेते हैं। (इन्हें अनुलग्नक XVIII और XIX में प्रदान किया गया है।)
१३. ईएसएमएफ के अनुसार, पहला कदम स्क्रीनिंग व्यायाम करने का होगा, जहां संभावित उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) स्क्रीनिंग चेकलिस्ट भरने के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को पहचाना जाएगा। इस चेकलिस्ट को भरने का उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक आधार रेखा पर बुनियादी जानकारी एकत्र करना होगा पैरामीटर, मुद्दे, और संभावित प्रभाव इसके आधार पर, उप-परियोजनाओं को वर्गीकृत किया जाएगा।
१४. जुड़को ने उप-परियोजनाओं को पर्यावरण पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है प्रभावों की गंभीरता, प्रभावों और नियामक आवश्यकताओं के प्रभाव के महत्व और महत्व के बारे में सामाजिक पहलुओं पर्यावरण के पहलू में, उप-परियोजनाओं को ई -1, ई -2 और ई -3 में वर्गीकृत किया गया है और सामाजिक पहलू में, उप-परियोजनाओं को एस -1, एस -2 और एस -3 में वर्गीकृत किया गया है। ई 1 के रूप में वर्गीकृत परियोजनाएं बैंक ओपी 4.01 श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी ए परियोजनाएं, और ई 2, ई 3 परियोजनाएं बैंक ओपी 4.01 कैटगोरी बी परियोजना आवश्यकताओं की आवश्यकताओं का पालन करेगी
१५. जुड़को ने उप-योजनाओं को पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं के अनुसार प्रभावों की गंभीरता, प्रभावों की तीव्रता, प्रभावों के अभिप्राय / महत्व और नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है। पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को ई1, ई2 और ई3 एवं सामाजिक पहलुओं को एस1, एस2 और एस3 में श्रेणीबद्ध किया गया है।

## सारणी 1: योजनाओं की पर्यावरण एवं सामाजिक आधार पर श्रेणियां

श्रेणी पर्यावरणीय	विवरण	योजना की प्रकार	कार्यकलाप
ई1	योजना के जीवनकाल में पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल अपरिवर्तनीय प्रभाव	संरक्षित क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, एसटीपी जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय तत्वों को प्रभावित करने वाले और बांध-सुरक्षा मापदंड की आवश्यकता वाली योजनाएं एमओईएफएवंसीसी द्वारा जारी ईआईए नोटीफिकेशन के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली योजनाएं	निर्माण और संचालन की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने के लिए, जुड़को द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों के अनुसार, एक स्वतंत्र ऐंजंसी नियुक्त करना
ई2	मध्यम दर्जे के ऐसे पर्यावरणीय प्रभाव, जिन्हें प्रमुख तौर पर ठीक किया जा सकता है और निर्माण क्षेत्र से विशेष तौर पर संबंधित और अस्थाई हैं	योजना को ई2 की श्रेणी में रखा जाता है अगर इसके संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की तीव्रता / गंभीरता ई1 के अंतर्गत रखी गई योजनाओं से कम है। ई2 योजनाओं के मध्यम दर्जे के पर्यावरणीय प्रभाव संभावित होते हैं।	ईएसएमएफ में संलग्न रूपरेखा के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करना और प्रबंधन योजना तैयार करना
ई3	कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मामूली पर्यावरणीय प्रभाव	वह योजनाएं जिनके पर्यावरणीय प्रभाव बेहद मामूली होते हैं और प्राकृतिक रूप से अस्थाई होते हैं।	निर्माण एवं संचालन प्रक्रिया के लिए एक स्वतंत्र ईएसएमपी बनाई जाएगी और यह जो निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होगी।
<b>सामाजिक</b>			
एस1	महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय सामाजिक प्रभाव	अगर इसमें निजी भूमि का अधिग्रहण और 200 व्यक्तियों या 50 परिवारों को प्रभावित करने वाले कार्य शामिल हैं। अगर इस वजह से किसी का वास्तविक विस्थापन होता है।	किसी स्वतंत्र ऐंजंसी से विस्तृत सामाजिक आंकलन करवाना और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) बनवाना
एस2	मध्यम दर्जे के साथ निम्नतम सामाजिक प्रभाव वाली योजनाएं	अगर योजना 200 से कम व्यक्तियों या लगभग 50 तक परिवारों को प्रभावित करती है तो इसे मामूली प्रकार की माना जाएगा	संक्षेप्त पुनर्वास योजना (एआरएपी)
एस3	मामूली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव	किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा अथवा पीएपी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।	जुड़को स्वतंत्र एसएमपी बनाएगी।

१६. पुनर्वासित योजनाओं और जनजातीय विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए पुनर्वासित नीति ढांचा और अनुसूचित जनजाति भागीदारी ढांचा ईएसएमएफ के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है। पुनर्वासित नीति ढांचा (आरपीएफ) योजना प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित नियम, परिभाषाएं और पात्रता की जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति भागीदारी ढांचा विशिष्ट गुणों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की पहचान करना और शहरी आधारभूत ढाँचों के विकास के लाभों और उप-योजनाओं से प्राप्त होने वाली सेवाओं में उनकी भागीदारी और इन लाभों और सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करेगा।
१७. उप-योजना के लिए संसाधनों की प्राप्ति शुरू करने से पहले ईआईए/ईएसएमपी/एसआईए/एआरएपी की घोषणा करनी आवश्यक होगी और ई1/एस1 के मामले में 120 दिन और ई2/एस2 के लिए 60 दिन, ई3/एस3 के लिए संविदा प्राप्त होने से पहले घोषणा करनी होगी।

## **लिंग संबंधी समस्याएं, कार्य योजना और निगरानी संकेतक**

१८. योजना में प्रमुख लिंग संबंधी समस्याएं हैं शहरी आधारभूत ढाँचों और सेवाओं तक पहुंच में असमानता, महिलाओं की सुरक्षा, महिला कामगारों की भागीदारी में असमानता और महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की असमानता

१९. चौबीस घंटे घरेलू जल आपूर्ति और बेहतर सड़कों के जरिए यह योजना बेहतर शहरी आधारभूत ढाँचों और सेवाएं आसानी से पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। उचित सड़क की लाईटिंग होने से महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही संवेदक द्वारा स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं को काम पर लगाने का प्रावधान होगा। कार्यान्वयन सलाहकार/एनजीओ महिलाओं में अपने अधिकारों और योजना के जरिए उपलब्ध मौकों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे।

२०. उप-योजना क्षेत्र में प्रभावित आबादी खास कर महिला मुखिया वाले घरों में जल आपूर्ति कनेक्शनों की संख्या, संवेदक की प्रगति रिपोर्ट, काम पर लगाई गई महिलाओं की संख्या और उनकी मज़दूरी की रकम एवं शिकायत निवारण ढांचे की मासिक स्थिति की जानकारी निगरानी संकेतक का काम करेंगे।

### **भागीदारों से विचार-विमर्श**

ज्ञात निवेशों वाली उप-योजनाओं के ईएसएमएफ और ईएसआईए तैयार करते समय सामाजिक सक्रियांग एवं संभावना अध्ययन चरणों के दौरान विभिन्न भागीदारों के साथ विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श की जानकारी आगे दी जा रही है:

२१.

क. प्रदेश स्तर पर विभिन्न भागीदारों जैसे सरकारी विभागों, तकनीकी विशेषज्ञों और सीबीओज के प्रमुखों, स्थानीय निकायों और एनजीओ से सार्वजनिक विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान चर्चा शुरू करने से पहले कार्य की संभावनाओं और उद्देश्यों के बारे में भागीदारों से सुझाव ले लिए गए थे।

ख. शहरी स्तर (धनबाद और खूंटी) पर यूएलबी प्रतिनिधियों और विभिन्न लाईन विभागों (यूडी एवं एचडी, श्रम विभाग, कल्याण विभाग, जेएसपीसीबी, पेय जल एवं सफाई विभाग, जल संसाधन विभाग, आरआरडीए, वन विभाग) के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ विशेष मूलभूत ढांचे और समाज को प्राप्त होने वाले लाभों पर केंद्रित सार्वजनिक विचार-विमर्श किया गया। योजना सूचनाएं साझा करने और पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन से जुड़े विचार और स्रोकारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जेएमडीपी के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं से जुड़े हुए अनेक विषयों पर चर्चा की गई।

ग. स्थानीय स्तर पर, पीएपी के साथ उप-योजना के निर्माण स्थलों/स्थानों पर सार्वजनिक विचार विमर्श किया गया। योजना की सूचना देने के तौर पर प्रभाव आंकलन की प्रमुख परिणामों, उन्हें कम करने की योजना, योजना की पात्रता, पीएपी की योग्यता इत्यादि के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही पीएपी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, उसे दर्ज किया गया और योजना का अंतिम डिजाइन बनाते समय चर्चा के दौरान सामने आए उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखा गया।

२२. भागीदारों से विचार-विमर्श के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

क. भागीदारों ने बेहतर जल-आपूर्ति, लोगों द्वारा पानी लाने में किए जाने वाले परिश्रम में कमी, नगरीय एवं उप-नगरीय सड़कों के चौड़ा होने से यातायात वाहनों की सघनता में कमी, बेहतर निकासी ढांचों से पानी जमा होने की संभावनाओं में कमी जैसे सकारात्मक सामाजिक प्रभावों पर सहमति जताई।

ख. भागीदारों द्वारा योजना गतिविधियों की वजह से पैदा होने वाली जिन समस्याओं का ज़िक्र किया गया, उनमें भूमि अधिग्रहण, वृक्षों की कटाई, अस्थाई विक्रेताओं पर पड़ने वाले प्रभाव, सतह पर मौजूद जलाशयों पर पड़ने वाले प्रभाव जिन पर समाज निर्भर हैं और निर्माण कार्य के दौरान सड़कों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होने जैसी समस्याएं शामिल थीं।


ग. भागीदारों ने योजना के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए। कुछ प्रमुख सुझावों में ईएसएमपी को निविदा दस्तावेज़ में शामिल करना, प्रभाव क्षेत्र के गलियारे में प्रभाव

का आंकलन करना, निर्माण गतिविधि शुरू होने से पहले लेबर परमिट लेना, वैकल्पिक सड़कें, निर्माण गतिविधि शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले सूचना / नोटिस देना और प्रमुख त्योहारों या तीर्थ यात्रा की अवधि के दौरान अस्थाई रूप से काम रोकना जैसे सुझाव शामिल थे।

### योजना के कार्यान्वयन का संस्थागत ढांचा

२३. जुड़को एक तीन स्तरीय योजना निरीक्षण एवं कार्यान्वयन ढांचा बनाएगी। प्रदेश स्तर पर जुड़को अध्यक्ष का प्रबंधन निदेशक के दिशा-निर्देशों में सम्पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करेगा। दूसरे स्तर पर जुड़को-जेएमडीपी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) होगा। पीएमयू की अध्यक्षता प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर करेगा, जो यूडीएचडी के प्रधान सचिव को रिपोर्ट करेगा। इसके साथ ही, एक पूर्णकालिक डिस्ट्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा जो पीएमयू द्वारा दिन प्रतिदिन के निर्णयों के लिए होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेगा। पीएमयू में आगे बताए गए प्रमुख पद होंगे (1) उप परियोजना निदेशक, (1) वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ, (3) प्रोक्योरमेंट विशेषज्ञ, (4) पर्यावरण विशेषज्ञ, (5) सामाजिक विशेषज्ञ, (6) वरिष्ठ नगरीय अभियन्ता, (7) संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ (8) शहरी योजनाकार, (9) संस्थागत विकास विशेषज्ञ (10) असैनिक अभियन्ता और (11) सहायक स्टाफ। तीसरे स्तर पर जुड़को-जेएमडीपी की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पीआईयू) होगी और यूएलबी स्तर पर उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी। सम्पूर्ण कार्यान्वयन ढांचा विशेष रूप से संबंधित योजना के लिए ही होगा और पूर्णकालिक तौर पर काम करेगा। जुड़को-जेएमडीपी की संस्थागत रूपरेखा नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है:

चित्र 1: संस्थागत विन्यास/क्रम



### जुड़को-जेएमडीपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) की भूमिका

२४. पीएमयू की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

- क. भागीदारों के साथ विचार-विमर्श एवं लोगों की सहभागिता।
- ख. डीपीआर, ईएसआईए, डिजाइन, निविदा के दस्तावेजों की तैयारी, टेंडर की प्रक्रिया की समय सारणी बनाना आदि।
- ग. उप-योजना का डीपीआर, ईएसआईएज और ईएसएमपीज तैयार करना।
- घ. निर्माण स्थल पर जाना और कार्यान्वयन के अधीन योजनाओं का निरीक्षण।

ड. तकनीकी सहायक सलाहकारों की नियुक्ति करना और कार्यान्वयन ऐरेसियों को अन्य सुरक्षा प्रबंधन सहायता प्रदान करना।

च. अन्य पक्ष अंकेक्षण के ज़रिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

छ. नियमित रूप से एमआईएस बनाना और तिमाही रिपोर्टिंग करना।

ज. प्रगति रिपोर्ट देना, वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग करना।

झ. समझौते में तय कार्यान्वयन प्रणालियों और विश्व बैंक की अन्य शर्तों के पालन को सुनिश्चित करना इत्यादि।

ज. उप-योजनाओं के लिए आवश्यक एनओसीज़ और विलयरेसेज़ प्राप्त करना।

### **जुड़को—जेएमडीपी प्रोजेक्ट इस्टीमेटेशन यूनिट (पीआईयू) की भूमिका**

२५. पीआईयू की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी और वह यूएलबी स्तर पर कार्य करेगा:

क. ई एंड एस स्क्रीनिंग करना और ईएसआईएज़ के लिए बुनियादी स्तर पर सर्वे में सहयोग करना।

ख. साप्ताहिक / पाक्षिक निरीक्षण करने के लिए उप-योजना निर्माण स्थल पर जाना।

ग. संवेदक द्वारा ईएसएमपी कार्यान्वयन की मासिक प्रगति रिपोर्ट पीएमयू को जमा करना।

घ. कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना।

ड. कार्य की प्रगति और खर्चों के बारे में पीएमयू को रिपोर्ट देना।

च. जिला स्तरीय समितियों के साथ तालमेल करना इत्यादि।

### **शहरी स्थानीय निकाय (अर्बन लोकल बॉर्डीज़)**

२६. योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान यूएलबी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

#### **योजना की तैयारी के दौरान**

क. सामाजिक सहभागिता और आवश्यक सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियां करना ताकि नागरिकों की भागीदारी के ज़रिए पर्याप्त स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके।

ख. शिकायत निवारण ढांचा स्थापित करना।

ग. योजनाओं की पहचान करना और आवश्यक भूमि का प्रबंध करना।

घ. यूएलबी बोर्ड से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना।

ड. योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित / भागीदार विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां एवं आदेश प्राप्त करने में सहयोग करना।

#### **कार्यान्वयन के दौरान**

क. दी गई सेवाओं के बारे में नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उनके अनुसार सुधार के लिए कदम उठाना।

ख. सुरक्षा प्रावधानों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

ग. प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी करना।

घ. सभी नागरिक जागरूकता एवं भागीदारी गतिविधियों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

ड. आर एंड आर गतिविधियों का लेखा—जोखा बनाना।

च. जुड़को को हर महीने प्रगति प्रतिवेदन सौंपना।

### **प्रोजेक्ट मैनेजरेंट कंसल्टेंट (पीएमसी)**

२७. अग्रिम—स्वीकृत शर्तों के अनुसार पीएमयू परामर्शी रखेगी, जिनका काम होगा:

क. तकनीकी सहायता एवं परामर्श देना।

ख. पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता देना।

ग. वित्तीय / संसाधन प्राप्तियों का प्रबंधन और योजना का अंकेक्षण करना।

घ. जीआईएस आधारित रिपोर्टिंग और निगरानी ढांचा तैयार करना।

ड. परिणामों की निगरानी और प्रभावों का मुल्यांकन करना इत्यादि।

### **कंस्ट्रक्शन सुपरवाईज़र एवं क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट (सीएसक्यूसीसी)**

२८. निर्माण स्थल पर पीआईयू की सहायता के लिए कंस्ट्रक्शन सुपरवाईज़र एंड क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट (सीएसक्यूसीसी) को पूर्व-स्वीकृत शर्तों पर रखा जाएगा। सीएसक्यूसीसी की ज़िम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

- क. संवेदक द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले काम का निरीक्षण।
- ख. संवेदक द्वारा किए जाने वाले दावों की जांच और प्रमाणीकरण।
- ग. वित्तीय प्रबंधन एवं सुरक्षा नियमावली के पालन की निगरानी।
- घ. प्रगति और खर्चों के बारे में पीआईयू को रिपोर्ट देना।
- ड. निर्माण की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना।

### **आरएपी, ईएसएमपी और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का कार्यान्वयन**

२९. योजना के लिए विशेष रूप से ली गई एन्जीओ के ज़रिए आरएपी/एआरएपी और एसटीपीपी लागू किया जाएगा और ईएसएमपी असैन्य संवेदकों के ज़रिए लागू होगा, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी जुड़कों के अधीन होगी।

### **पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां – पीएमयू**

३०. पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञों की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

- क. कार्यान्वयन एंजेंसी की टीमों और संवेदकों को पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन का निर्देशन एवं प्रशिक्षण देना।
- ख. ईए/एसए प्रक्रियाओं और इनके परिणामों के बारे में मार्गदर्शन देना।
- ग. कार्यान्वयन एंजेंसियों द्वारा जमा की गई निगरानी रिपोर्टों की समीक्षा करना।
- घ. ईएसएमएफ/ईएसएमपी/आरएपी/एसटीपीपी कार्यान्वयन।
- ड. उप-योजना के नियोजन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन के समय ईएसएमएफ के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से योजना स्थल पर जाना।
- च. कार्यान्वयन एंजेंसी की टीमों को पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन के पहलुओं पर मार्गदर्शन और सुझाव देना।
- छ. ईएसएमएफ में दिए गए निर्देशों के तहत जुड़कों और विश्व बैंक को रिपोर्ट देना।
- ज. गुणवत्ता अंकेक्षण परामर्शियों के साथ तालमेल करना

### **निगरानी और निरीक्षण**

३१. ईएसएमएफ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन को उचित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए, ईएसएमएफ में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं:

- क. पीआईयू द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक निरीक्षण।
- ख. ईएसएमएफ के सम्पूर्ण कार्यान्वयन में तालमेल और रिपोर्टिंग के लिए पीएमयू स्तर पर विशेष पर्यावरण विशेषज्ञ एवं सामाजिक विशेषज्ञ रखना।
- ग. योजना के दौरान साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक निगरानी और मूल्यांकन और विश्व बैंक को पर्यावरण और सामाजिक निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट देना।
- घ. स्वतंत्र सुरक्षा अंकेक्षण (आईएसमए): ईएसएमएफ के कार्यान्वयन का स्वतंत्र परामर्शी द्वारा छमाही पर्यावरण एवं सामाजिक अंकेक्षण।
- ड. जैसे जुड़कों, पीआईयू और कार्यान्वयन एजेंसियों, जिसमें परामर्शी, संवेदक और सामाजिक संस्थाएं और सदस्य शामिल हैं, की पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन की क्षमता निर्मित करना।

३२. ईएसएमएफ के सफल कार्यान्वयन को मापने के लिए जिन प्रमुख संकेतकों को ध्यान में रखा जाएगा, वह निम्नलिखित हैं—

- क. समयबद्ध तरीके से ईएसएमएफ और आरएपी का कार्यान्वयन।
- ख. निर्माण प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या।
- ग. नियामक आवश्यकताओं और मंजूरियों के पालन की स्थिति।
- घ. आईएफसी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रमिक कैंप।
- ड. निर्धारित समय के दौरान आई शिकायतों के निवारण की संख्या।
- च. योजना से संबंधित सूचनाओं की घोषणा और योजना और संबंधित स्थान के बारे में सार्वजनिक सहमति।

## **शिकायत निवारण ढांचा**

३३. शिकायत निवारण ढांचा एक प्रक्रिया है जो सभी भागीदारों को योजना के नियोजन, निर्माण या कार्यान्वयन के बारे में शिकायत करने या सुझाव देने के सक्षम बनाती है। उप परियोजना निर्देशक (जुड़को, पीएमयू) की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह उप-योजना गतिविधियों से संबंधित शिकायतों के प्रबंधन के हेतु हर उप-योजना के लिए प्रभावशाली कारगर बहु-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा सुनिश्चित करें। शिकायत निवारण ढांचा दो स्तरों पर कार्य करेगा: 1. जीआरसी के ज़रिए उप-योजना (यूएलबी) स्तर पर 2. अपील प्राधिकारी के तौर पर प्रदेश स्तर पर।
३४. पीएपी (या उनका प्रतिनिधि) अपनी शिकायत विभिन्न साधनों यानि लिखित पत्र, फोन और ईमेल के ज़रिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तक पहुंचा सकता है या प्रोजेक्ट स्टॉफ के साथ सार्वजनिक या निजी बैठकों में अपनी आवाज़ उठा सकता है। प्रत्येक योजना निर्माण स्थल पर स्थानीय भाषा में एक सरल शिकायत पत्र मौजूद होगा जिसे शिकायत-करता भर सकता है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क करने के लिए जानकारी नीचे दी जा रही है।

### **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी)**

झारखंड शहरी आधारभूत ढांचों विकास कंपनी लि. (जुड़को)  
तीसरा तल, प्रगति सदन  
कचहरी चौक  
रांची 834001  
झारखंड  
दूरभाष: 0651-2243203  
ईमेल: grc.jmdp.juidco@gmail.com

### **उप-योजना के कार्यान्वयन के दौरान जनता से विचार-विमर्श**

३५. उप योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान, प्रमुख भागीदारों के अलावा, यूएलबी, एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं (सीबीओ) को भी शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक बैठकों के दौरान योजना की निगरानी रिपोर्टस वितरित की जाएंगी जहां पर उप-योजना से संबंधित कोई भी ईएचएस और सामाजिक समस्या पर भी विचार किया जाएगा। योजना निर्माण स्थल पर अद्व-वार्षिक परामर्शी बैठकों का आयोजन किया जाएगा और डीपीआर के दौरान यूएलबी स्तर पर इन बैठकों का आयोजन होगा। इसके अलावा, मौजूदा और भविष्य में योजना के डिज़ाइन में सुधार के लिए सुझाव एकत्र किए जाएंगे। इसके साथ ही योजना से संबंधित विभागों और दूसरे भागीदारों के लिए कार्यान्वयन के दौरान नियमित तौर पर भागीदार परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। योजना की निगरानी/प्रगति रिपोर्ट यूएलबी और योजना की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

### **ईएसएमएफ बजट**

३६. जेएमडीपी के अधीन पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन गतिविधियों के लिए अनुमानित बजट योजना की कुल लागत (10,00,000,000 रुपए) का ५ प्रतिशत अंकित किया गया है।